

फर्द अहकाम

क्रमांक

मुद्दा नं० 75/14 तारीख 22-12-14

उजवान - किरतूरी बनाम बनवारी
भनकपुरा

प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी को ओर से श्री मदनमोहन शर्मा आदि
ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश
किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन
किया गया। वकील प्रार्थी की एकतरफा
बयान सुनी गई। प्रथम दुहरया मामला
प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः
जोरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से
पालन किया जाता है कि आगामी सुनवाई
तक ग्राम भनकपुरा की भूमि क्र. नं०
603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611,
614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 कुलकित 16
कुल रकबा 1.66 हे० हिस्से को मोने एवं
रिक्वाइर की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना
पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जोरिये
नोटिस से तबल किया जाकर दिनांक 9.2.15
को पेश हो।

3807-3808
23-12-14

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (स्थली)

9.2.15

जहाँ वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं० 1 का
नोटिस चस्योन्गी की रिपोर्ट से प्राप्त हुआ
की अप्रार्थी नं० 2 का नोटिस प्राप्त नहीं। P.O.
साथ करौली प्रीटिंग में पधार है। आदेश
दि० 16.3.15 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
16 ³ / ₁₄	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य बन्द रखी गया। लड़िकाडी नं० २ की कसब शामिल फाट हो गई है। कोई उपस्थित नहीं करते मध्याह्न मादेश दिनांक २०-५-१५ को पेश हो।
२०/५	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। गतानुसार दिनांक १७-५-१५ को पेश हो।
२३-७-१५	पत्रावली अजरल तारीख पेशी से पेश उद्योग प्रार्थी वकील उप। अग्रार्थीगण बापखरद सुपना उप. नहीं। उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं वास्ते बहस दिनांक २५-८-१५ को पेश हो।
२५-८-१५	प्रार्थी वकील उप। बहस वास्ते समय-पहल दिया गया। वास्ते बहस दिनांक २२-९-१५ को पेश हो।
२२ ^३ / _{१५}	यकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी कोर्ट के कोठी पेश हो। गतानुसार दिनांक ३०-९-१५ को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

30/9/15

प्राची वकील उपास्थित / प्राची वकील
 की एक पक्षीय कस सुनी गई / प्राची
 वकील ने प्राची पत्र में वर्णित
 तथ्यों को दोहराते हुए अंतर्गत
 अस्थाई निवेदाशा को दावा फैसला
 तथा कर्नल को निलेन विप्रा
 कसपा मनन विप्रा पत्रावली का
 आवलोकन विप्रा अर्थात् कसपा
 सुनना उपास्थित नहीं है। इस प्रश्न
 पर स्पष्ट है कि उन्हे कसपा अर्थात्
 पत्र के संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत
 नहीं करता है। लिहाजा प्राची पत्र
 अस्थाई निवेदाशा स्वीकारा अर्थात्
 को ता दावा फैसला गुप्त मनन पुत्र
 श्रमिक नं. 603, 604, 605, 606, 607,
 608, 609, 610, 611, 614, 615, 616, 617,
 618, 619, 620 कुल दिना 20 कुल
 1.66 हे. में लिहाई कसपा की पचासिती
 कसपा रखे / पत्रावली फैसला शुभा
 लोक नभरसे कस लोक दावा पत्रा
 कसपा सलजन रहे

उप जिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करीली)